पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / [illegible] / अका. / 2011

रायपुर, दिनांक [illegible] मार्च, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 22.03.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. अब्दुल अलीम खान – सदस्य
3. प्रो. आर.पी. दास – सदस्य
4. प्रो. ए.के. पति – सदस्य
5. प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह – सदस्य
6. डॉ. जगदीश गंगवानी – सदस्य
7. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम – सदस्य
8. डॉ. दीपक कारकून – सदस्य
9. डॉ. अरविन्द गिरोलकर – सदस्य
10. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला – सदस्य
11. श्री एस.के.चक्रवर्ती – सदस्य
12. श्री ललित सुरजन – सदस्य
13. श्री अशोक लोहिया – सदस्य
14. डॉ. रवि भोई – सदस्य
15. श्री देवजी भाई पटेल – सदस्य
16. श्री रामजी भारती – सदस्य
17. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा – सदस्य
18. श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.02.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.02.2011 के कार्यवृत्त की निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गई:**

अध्यक्ष की अनुमति से निर्णय क्रमांक–3 डॉ.रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150 वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में व्याख्यानमाला आयोजित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संस्कृति विभाग, भारत सरकार के द्वारा इस अवसर पर जो योजना तैयार की गई है, उससे संबंधित वेबसाइट से देख कर अनुदान प्राप्त करने हेतु भी पहल की जाय। डॉ. रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर व्याख्यानमाला आयोजित करने हेतु आवश्यक बजट प्रावधान भी किया जाय।

विषय क्रमांक–2

शासकीय व्ही.वाय.टी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग को भौतिकी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग को भौतिकी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने हेतु शोध समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–3

शोध उपाधि के लिए पंजीकृत छात्रों एवं एम.फिल. में प्रवेशित छात्रों द्वारा ली जाने वाली शुल्क संशोधित करने पर विचार करना।

निर्णय : **शोध उपाधि के लिए पंजीकृत छात्रों के लिए निम्नानुसार ट्यूशन शुल्क निर्धारित किया गया –**

वे विषय जो लैब से संबंधित हैं : रु. 7500.00 प्रति छः माह

वे विषय जिसमें लैब की आवश्यकता नहीं है : रु. 5000.00 प्रति छः माह

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष शुल्क का पुनरीक्षण किया जावे।

विषय क्रमांक–4

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में विद्युत उपकेन्द्र (Sub Station) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध मं विचार करना।

निर्णय : **पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में विद्युत उपकेन्द्र (Sub Station) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर के द्वारा मांग की गई भूमि आवंटित करने का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–5

विश्वविद्यालय बजट (Budget) वित्तीय वर्ष 2009–10 का वास्तविक आय–व्यय, 2010–11 का पुनरीक्षित आय–व्यय एवं 2011–12 का अनुमानित आय–व्यय का बजट पर विचार करना।

निर्णय : **वित्त समिति की बैठक दिनांक 09 मार्च 2011 के अनुशंसा को सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 का बजट पारित किया गया।**

पूरक विषयसूची :

विषय क्रमांक–1

मुख्य परीक्षा सत्र 2010–11 के केन्द्र अग्रिम राशि रु. 47,30,000.00 के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **मुख्य परीक्षा सत्र 2010–11 के लिए विभिन्न महाविद्यालयीन केन्द्रों को प्रदान की गई अग्रिम राशि रु. 47,30,000.00 के भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–2

अनुचित साधन विषय अधिनियम एवं निर्देश परिशिष्ट 'अ' (छत्तीसगढ़ अधिनियम 2009) को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : **अनुचित साधन विषय अधिनियम परिशिष्ट 'अ' (छत्तीसगढ़ अधिनियम 2009) को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिनियम प्रभावशील करने के पूर्व परीक्षण करा लिया जावे।**

विषय क्रमांक–3

अनुचित साधन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2011 की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक–05 की धारा(21) की उपधारा 06 (ए) के तहत अनुचित साधन निर्णायक समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

विषय कमांक–4

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 5000.00 के स्थान पर रु. 10,000.00 किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के इम्प्रेस्ट की राशि रु. 5000.00 के स्थान पर रु.10,000.00 करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

विषय कमांक–5

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विषय कमांक–5 भिलाई कालेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई में सत्र 2011–12 में विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के पूर्व संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिनियम–27, 28 की अन्य शर्तों की पूर्ति तीन माह में पूरा कर ले तथा पूर्ति के पश्चात उनके द्वारा परिनियम–27, 28 की पूर्ति संबंधी जानकारी का हलफनामा देने के पश्चात ही सत्र 2011–12 के लिए संबंधित पाठ्यकमों के प्रथम वर्ष में अस्थायी सम्बद्धता जारी करते हुए प्रवेश की अनुमति दी जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा ऐसे प्रकरणें में स्पष्ट अनुशंसा की जाए।

विषय कमांक–6

निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत लिफाफा खोले जाने के संबंध में ।

निर्णय :(1) चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रिसाली, दुर्ग के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं पाये जाने के कारण प्राचार्य पद हेतु पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया।

(2) छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा, जिला–धमतरी के लिए डॉ. शैलेन्द्र कुमार साहू को प्राचार्य पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–7

अध्यादेश कमांक–05 के परिशिष्ट में उल्लेखित परीक्षा पारिश्रमिक संशोधित करने पर विचार करना।

निर्णय : अध्यादेश कमांक–05 के परिशिष्ट में उल्लेखित परीक्षा पारिश्रमिक संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसकी पूर्ति प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर की जाय। मुख्य परीक्षा 2011 से लागू करने के संबंध में प्रस्ताव समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु शीघ्र भेजा जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय.........

1. माननीय कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालय से संबंधित प्रकरणों विस्तृत जानकारी चाही गई। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि प्रकरणों की विस्तृत जानकारी कार्यपरिषद को दी जाय ताकि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के संबंध में आवश्यक पहल की जाय। यदि किसी विशेषज्ञ अधिवक्ता की आवश्यकता हो, तो उनकी सलाह भी ली जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि श्रम न्यायालय से संबंधित मामले पर विधिक सलाह हेतु श्री एच.आर. द्विवेदी, सेवानिवृत्त श्रम आयुक्त, को पैनल में शामिल किया जावे।

2. कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा प्रोफेसर जे.एल.भारद्वाज से संबंधित पूर्व प्रकरण (गोपनीय विभाग से संबंधित) की जानकारी चाही गई। निर्णय लिया गया कि जानकारी कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।

3. कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्यों जैसे–अधूरे भवन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान से प्रस्तावित भवन, एवं कार्य प्रभावित होने संबंधी विस्तृत जानकारी चाही गई है। निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की आगामी बैठक में जानकारी दी जावे।

4. कुलपति जी द्वारा सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेस के लिए डी.एस.टी. को प्रस्तुत प्रोजेक्ट पर उनके द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 18.03.2011 को दौरा किया एवं उनकी उपस्थिति में प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं विस्तृत चर्चा हुई।

5. मुख्य परीक्षा सत्र 2010–11 के लिए विभिन्न महाविद्यालयीन केन्द्रों को प्रदान की गई अग्रिम राशि रु. 31,45,000/– (दूसरी किश्त) के भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक/ [illegible] /अका./2011 — रायपुर, दिनांक [illegible] मार्च, 2011

प्रतिलिपिः

1. महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)